Need to repeal Mahabodhi Mahavihar Amendment Act 1949

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं महाबोधि महाविहार अधिनियम, 1949 को रद्द कर गया स्थित महाबोधि मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समाज को सौंपने के संबंध में शून्य काल में अपनी बात कहना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के गया में स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म का अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध जी को बोधि प्राप्त हुई थी । यह स्थान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध समाज के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है । महाबोधि महाविहार प्रबंधन अधिनियम, 1949 के तहत इस महाविहार का प्रबंधन एक ट्रस्ट बोर्ड करता है, जहां महाबोधि मंदिर प्रबंधन बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी (BTMC) के माध्यम से चलाया जाता है । इसमें चार बौद्ध प्रतिनिधि और चार अन्य समाज के प्रतिनिधि होते हैं तथा अध्यक्ष पद पर जिलाधिकारी नियुक्त होते हैं । यह व्यवस्था अन्य धार्मिक स्थलों की तुलना में अनुचित और बौद्ध समाज के प्रति अन्यायपूर्ण प्रतीत होती है ।

महोदय, मुझे यह कहना है कि देश में स्थित सभी मस्जिदों का प्रबंधक मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, चर्च के प्रबंधक ईसाई समाज के होते हैं, गुरुद्वारों के प्रबंधक सिख समाज के होते हैं तथा मंदिरों का प्रबंधन हिंदू समाज द्वारा किया जाता है तो फिर बौद्धों के सबसे पवित्र स्थल महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समाज को क्यों नहीं सौंपा जा सकता? महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का स्थल है, इस स्थिति में प्रबंधन का अधिकार बौद्ध समुदाय को मिलना चाहिए । ? (व्यवधान)